

प्रेपक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक(सदरय सविय)  
सहारनपुर गण्डल, सहारनपुर।

रोवा में,

रामित  
कन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्  
शिक्षा केन्द्र- 2, समुदाय केन्द्र  
प्रीत विहार- नई दिल्ली

पत्रांक: स0पुर/एन030003010/

/2013-2014 दिनांक

06/02/2014

विषय: विल विवरण स्कूल, सामपुर गणिताराम (सहारनपुर) को री0वी0एस0ई0, नई दिल्ली रो साम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के रायबंध में।

गहोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1916 / 15-7-09-(299) /2007 शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 14.07.2009 के द्वारा गठित मण्डलीय समिति द्वारा विवरण स्कूल, सामपुर गणिताराम (सहारनपुर) को री0वी0एस0ई0, नई दिल्ली रो साम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के रायबंध में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत रोसाइटी का राय-राय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रवत्थ रामित में शिक्षा विभाग द्वारा नवीनीकरण के साथ होगा।
- 3- विद्यालय में कग से कग 10 प्रतिशत रथन अनुसूचित जाति/अनुरूचित जातजाति के गेधारी वच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संबलित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क रो अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार रो किरी अनुदान की मौम नहीं की जायेगी तथा रोन्ट्रेन वोर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं विल्ली/कालियल फार इंड हिल्सियल स्कूल स्टार्टिप्पलेट इकायांजेशन नई दिल्ली रो साम्बद्धता प्राप्त छोंग को दशा ये पूर्व स अन्य पारपद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रवतः सामाज से जायेगी।
- 5- संस्था को उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व रो मान्यता प्राप्त होने के सम्बद्ध में यदि कोई राज्य छिपाया गया हो तो यह अनापत्ति प्राप्त-पत्र रवतः तिरस्त समझा जायेगा।
- 6- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों वो अनुरूचित सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुरूच भेजनगाने तथा अन्य कर्मचारियों तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 7- कर्मचारियों की सेवा खर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासलीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुग्रह सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 8- राज्य सरकार द्वारा सामय-सामय पर भी रो आरेण निर्धारित जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 9- विद्यालय का रिकाल निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करायेंगे रखा जायेगा।

.02

HARSHAD NEW INK 2010

PRINCIPAL

BILL CLINTON SCHOOL  
Ramrati Education Complex,  
Rampur Maniharan,  
Saharanpur (U.P.)

*Sur*  
MANAGER  
BILL CLINTON SCHOOL  
Ramrati Education Complex  
Rampur Maniharan  
Saharanpur (U.P.)



Scanned with OKEN Scanner

(2)

- 10— विद्यालय द्वारा प्रस्तावित गूणि/भवन में छी विद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है, अन्यत्र किसी भी भूगि/भवन में संचालित होने वाले विद्यालय अथवा शाखा हेतु उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र गान्धी नहीं होगा।
- 11— उक्त शर्तों में मण्डलीय समिति/राज्य राजवार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संरक्षा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संरक्षा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की तूक या शिथिलता वरती गयी है तो मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापरा ले लिया जायेगा।

भवदीय

(श्रीमती मंजु शर्मा)

रांयुक्ता शिक्षा निदेशक,

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।/

रादरर सचिव, मण्डलीय समिति।

पृ०सं०: स०पुर/एन०ओ०सी०/ 6169->> /2013-2014 तददिनोंक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

- 1— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शारान, माध्यमिक शिक्षा अनुग्राम-7, लखनऊ।  
2— आयुक्त (अध्यक्ष मण्डलीय समिति) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में।  
3— जिलाधिकारी (सदरर, मण्डलीय समिति) सहारनपुर।  
4— शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, 18-पार्क रोड, लखनऊ।  
5— जिला विधालय निरीक्षक (सदरर मण्डलीय समिति) सहारनपुर।  
6— प्रबन्धक, बिल विकटन स्कूल, रामपुर मनिहारान (सहारनपुर)।  
7— निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विधालय, उ०प्र०, लखनऊ।  
8— सचिवित पत्रावली पर।

(श्रीमती मंजु शर्मा)

रांयुक्ता शिक्षा निदेशक,

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।/

रादरर सचिव, मण्डलीय समिति।

Veeanu

PRINCIPAL

BILL CLINTON SCHOOL

Ramrati Education Complex,

Rampur Maniharan,

Saharanpur (U.P.)

MANAGER

BILL CLINTON SCHOOL

Ramrati Education Complex

Rampur Maniharan

Saharanpur (U.P.)